कार्यालय पुलिस नियन्त्रण कक्ष आयुक्तालय जोधपुर

प्रेस नोट
(दिनांक 09.02.2025)
आयुक्तालय जोधपुर

श्रीमान राजेंद्र सिंह पुलिस आयुक्त जोधपुर के निर्देशानुसार, पुलिस आयुक्तालय जोधपुर में अपराध और अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने एवं यातायात नियमों की पालना हेतु दिनांक 08.02.2025 को सायंकालीन एवं रात्रि कालीन गश्त के दौरान माईनर एक्ट में कार्यवाही ,सार्वजनिक स्थान पर शराब पीने वालों व शराब पीकर वाहन चलाने वाले चालको के विरूद्ध व राजकोप ऐप पर संदिग्ध व्यक्तियों के फोटो मिलान कर संदिग्ध व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही तथा बंपर लगे वाहनों, बिना नंबरी, काला शीशा लगे वाहनों, टैक्सी चालकों के विरुद्ध, खतरनाक तरीके, तेज गति से चलाने वाले ,रॉन्ग साइड वाहन चलाने वाले चालकों के विरूद्ध एम.वी. एक्ट की कार्यवाही करने का अभियान चलाया गया।

पुलिस आयुक्तालय क्षेत्र जोधपुर में समस्त वृत सहायक पुलिस आयुक्तगण के नेतृत्व में समस्त पुलिस थानाधिकारीयों को अपने-अपने थाना क्षेत्र मेंमाईनर एक्ट में कार्यवाही, सार्वजनिक स्थान पर शराब पीने वालों 60 पुलिस एक्ट में व शराब पीकर वाहन चलाने वाले चालको के विरूद्ध 185 एमवी एक्ट में कार्यवाही करने तथा राजकोप ऐप पर संदिग्ध व्यक्तियों के फोटो मिलान करना व संदिग्ध व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही तथा बंपर लगे वाहनों, बिना नंबरी, काला शीशा लगे वाहनों, टैक्सी चालकों के विरुद्ध, खतरनाक तरीके, तेज गति से चलाने वाले वाहन चालकों, रॉन्ग साइड वाहन चलाने वाले चालकों के विरूद्ध एम.वी. एक्ट की कार्यवाही करने के आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए।

श्रीमान पुलिस आयुक्त महोदय के निर्देशों की पालना में समस्त वृत अधिकारीयों ने अपने-अपने क्षेत्र के सभी थाना अधिकारी एवं पुलिस बल को इस अभियान के संबंध में ब्रीफ कर अलग-अलग टीमें बनाकर ज्यादा से ज्यादा कार्यवाही करने हेतु रवाना किया गया।

दौराने अभियान जोधपुर आयुक्तालय क्षेत्र के जिला पूर्व एवं जिला पश्चिम में कुल **301** संदिग्ध वाहन चेक किए गए तथा राजकोप ऐप पर कुल **184** संदिग्ध व्यक्तियों का फोटो मिलान के साथ **97** संदिग्ध व्यक्तियों का पर्चा 'बी' भरा गया तथा सार्वजनिक स्थान पर शराब पीने वालों 60 पुलिस एक्ट में **45** कार्यवाही, शराब पीकर वाहन चलाने वाले **50** वाहन चालकों का 185 एम.वी.एक्ट के तहत् **16** बंपर लगे वाहनों, **00** बिना नंबरी वाहनों व **10** काला शीशा लगे वाहनों, **08** टैक्सी चालकों, खतरनाक तरीके वाहन चलाने वाले **08** चालकों, **05** रॉन्ग साइड वाहन चालकों के विरुद्ध का एम.वी.एक्ट के तहत् चालान कार्यवाही की गई। माईनर एक्ट कार्यवाही में पुलिस थाना बनाड़, महामंदिर एवं नागौरी गेट द्वारा एक-एक कार्यवाही की गई।

बनाड़ द्वारा आबकारी अधिनियम के तहत एक कार्यवाही, महामंदिर द्वारा आर्म्स एक्ट के तहत एक कार्यवाही एवं नागोरी गेट द्वारा RPGO के तहत एक कार्यवाही की गई ।

आमजन से आग्रह है कि आपके आस-पास क्षेत्र में किसी भी प्रकार की गैरकानूनी, अनैतिक, अवैध शराब/मादक पदार्थ बिक्री व संदिग्ध व्यक्ति आदि की जानकारी होने पर इसकी सूचना तुरंत संबंधित पुलिस थाना या पुलिस नियंत्रण कक्ष 100/112 व व्हाट्सएप नंबर 9530440800 पर सूचित करें

प्रभारी

पुलिस नियंत्रण कक्ष,

आयुक्तालय जोधपुर